प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 17.10.2019

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–17 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा अभियान चलाकर वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। जिसमें जनपदीय पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 12 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 16.10.2019 को जनपद के थानों से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 60 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. विकास पुत्र राम सजन नि0 नयनजोत थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0– 422/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कर्नलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. बब्लू पुत्र स्व0 मुन्ना नि0 ग्राम मलौना थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–386/19, 02. अन्नू पुत्र स्व0 माधव नि0 छावरा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–387/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

दहेज हत्या का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार –

गोण्डा। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने दहेज हत्यारोपी अभियुक्त– श्यामजी पुत्र कृष्ण कुमार तिवारी नि0 पिपरी मौजा बीरपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना कटराबाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0–230/19, धारा 498ए, 304बी भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त मुकदमा वादी भगवान दयाल पुत्र सीतला प्रसाद नि0 कटहवा मौजा बनगॉव थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के द्वारा दिनांक 10.10.2019 को अपनी पुत्री रूबी को उसके पति व ससुराल वालो द्वारा दहेज की बात को लेकर फॉसी लगाकर जान से मारने के आरोप मे दिनांक 10.10.2019 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमे कटराबाजर पुलिस ने वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर आर0पी0 पेट्रोलपम्प के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। गुरूवार जनपद गोण्डा के थाना खोड़ारे पुलिस ने हत्या करने के आरोपी अभियुक्त विनोद कुमार शर्मा पुत्र राम नरायन शर्मा नि0 कोटखास तिलया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को थाना खोड़ारे पर पंजीकृत मु0अ0सं0–165/19, धारा 498ए, 302 भादवि के तहत किया गिरफ्तार।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 12.10.2019 को वादी पारसनाथ पुत्र रामतीरथ नि0 बीरपुर साडू थाना छपिया जनपद गोण्डा की पुत्री पुष्पा देवी को दहेज की बात को लेकर
प्रताड़ित करते हुए आग से जलाकर मार डाला था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना खोड़ारे में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने थानाध्यक्ष खोड़ारे को अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी करने के सख्त निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में खोड़ारे पुलिस ने आज दिनांक 17.10.2019 को वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त विनोद कुमार शर्मा उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर मकोईया मोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

बलवा करने का आरोपी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। गुरूवार जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस ने बलवा करने के आरोपी अभियुक्त–मौसम सिंह पुत्र हरिओम सिंह नि0 इमरती बिसेन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को थाना को0 नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–727/19, धारा 147.148.149.323. 504.506.308.324 भादवि के तहत गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 23.09.2019 को वादिनी शाबरीन बानों पत्नी महबूब अली के भाई व अभियुक्त हरिओम के पुत्र के बीच कहॉ सुनी हो गयी थी। उसी बात को लेकर विपक्षीगणों द्वारा शांति व्यवस्था को बाधित करते हुए एक राय होकर गाली–गुप्ता देते हुए लाठी–डण्डा, फरसा से लैस होकर वादिनी के पिता को मारकर घायल कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा विपक्षीगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें आज दिनांक 17.10.2019 को को0 नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मौसम सिंह को इमरती बिसेन मोड़ बहराइच रोड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। गुरूवार जनपद गोण्डा के थाना को0 करनैलगंज पुलिस ने आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरण करने के आरोपी अभियुक्त–निजामुद्दीन पुत्र मुकीम नि0 मिर्जापुर थाना जरवल रोड जनपद बहराइच को थाना को0 करनैलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–383/19 धारा 306 भा0द0वि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 14.10.2019 को वादिनी श्रीमती मनवरा पत्नी जाकिर अली नि0 कचनापुर बसुहा थाना करनैगंज जनपद गोण्डा के लड़के सादिर ने फॉसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना करनैलगंज पर उसके लड़के सादिर को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरण करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें को0 करनैलगंज पुलिस ने विवेचना के आधार पर दोषी पाये गये अभियुक्त निजामुद्दीन को आज दिनांक 17.10.2019 को मुखबिर की सूचना पर रोडबेज बस स्टाप कस्बा करनैलगंज से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।